न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ़

उपस्थितः– अमित कुमार दीक्षित

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 90 / 2026

बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 400 / 2024

19.03.2026 आवेदकगण **1. धर्मेन्द्र कुमार उर्फ सुदन, 2. चिपन कुमार उर्फ चीपा उर्फ गणेश कुमार एवं 3. छोटी कुमार उर्फ ओम प्रकाश कुमार** की ओर से गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दिनांक 28.01.2026 को यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन पर सुना।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया है। आवेदकगण निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। सूचक के द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल झूठा है। प्राथमिकी में जिस प्रकार बताया गया है उस प्रकार की घटना नहीं हुई है। आवेदकगण पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदकगण के पास से कोई बरामदगी नहीं है तथा कोई जप्ती सूची नहीं है। अतः आवेदकगण के विरूद्ध धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला नहीं बनता है। इस कांड के सह अभियुक्त गोडो कुमार उर्फ रौशन कुमार को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा क्रिमिनल मिस. नं0 55076 / 2025 दिनांक 27.08.2025 के माध्यम से तथा अभियुक्त नकटू दास उर्फ रोहित कुमार को अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1229 / 2025 दिनांक 08.12.2025 के माध्यम जमानत दी जा चुकी है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण न्यायालय के किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार है, इसलिए इन्हें किसी भी शर्त का जमानत दिया जाय, जमानतदार देने को तैयार हैं।

अभियोजन ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है।

उपर्युक्त अग्रिम जमानत पर उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे मैं पाता हूं कि इस वाद में बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 400 / 2024, दिनांक 13.07.2024 को धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा यह अभियोग लगाया गया है कि सूचक दिनांक 10.07.2024 को समय 01 बजे रात्रि में आर.ओ.बी. रानीसराय पीलर नं0 14 के पास राजगीर एवं बाढ़ एन.टी.पी.सी. जाने वाली रेलवे क्रॉसिंग के समीप अपने ड्यिूटी में थे तो देखे कि करीब 15–16 की संख्या में कुछ लोग पुल निर्माण हेतु रखे हुए लोहे के सरिया, लोहे का प्लेट एवं लोहे का ऐंगल चुरा कर ले जा रहे थे, जब सूचक ने हल्ला किया तो वे सभी लोग वहां से भागने लगे। भागते हुए लोगों में से धर्मेन्द्र कुमार उर्फ सुदन, चीपन कुमार उर्फ चीपा, गोडो कुमार, छोटी कुमार, विवेक कुमार, संजीत कुमार, नटकू दास एवं 8–9 अज्ञात चोरों को पहचान नहीं सका, जिसकी सूचना इनके द्वारा कंपनी को दिया गया तो कंपनी के द्वारा बोला गया कि चोरी करने वाले चोरों के बारे में पता लगाओ। चोरी करने वाले लोगों को पहचान करने एवं आस–पास पता करने के कारण आवेदन में विलंब हुई।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एवं अभिलेख का अवलोकन किया। कांड दैनिकी अभिलेख के साथ संलग्न है। कांड दैनिकी के कंडिका 2 में वादी का पुनः बयान है, कंडिका 6, 7 एवं 8 के साक्षियों के द्वारा घटना के बारे में बताया गया है, कंडिका 52 एवं 77 में **आवेदकगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है।** इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदकगण ग्रामीण लेबरर है तथा कोई जप्ती सूची तैयार नहीं किया गया है एवं अनुसंधान के क्रम में

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ़

उपस्थितः– अमित कुमार दीक्षित

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 90 / 2026

बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 400 / 2024

लगातार

19.03.2026

घटनास्थल पर सामान हटाने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया है तथा आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा इस कांड के सह अभियुक्त गोडो कुमार उर्फ रौशन कुमार को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा क्रिमिनल मिस. नं0 55076 / 2025 दिनांक 27.08.2025 के माध्यम से तथा अभियुक्त नकटू दास उर्फ रोहित कुमार को अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1229 / 2025 दिनांक 08.12.2025 के माध्यम जमानत दी जा चुकी है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता यह भी निवेदन करते हैं कि अनुसंधान के क्रम में चुराई गई संपत्ति बरामद नहीं किया गया है तथा चुराई गई संपत्ति का ब्यौरा भी नहीं दिया गया है तथा इस मामले में अनुसंधान लगभग सभी बिंदुओं पर पूर्ण हो चुका है।

इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं कांड दैनिकी के अनुसार आवेदकगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास के न होने के तथ्यों पर विचार करने के उपरांत आवेदकगण को सशर्त अग्रिम जमानत पर उपनिहित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदकगण को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के तिथि से 3 सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होकर लाने पर मो0 10,000 रुपये के दो प्रतिभू द्वारा बंधपत्र दाखिल करने निम्न शर्तों के आलोक में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है, 1. आवेदकगण को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह अनुसंधान / विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा यदि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है तो प्रत्येक एवं सभी तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे, 2. आवेदकगण धारा 482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की शर्तों का अनुपालन करेंगे, उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय आवेदक के बंधपत्र को निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होंगे। इस आदेश में की गई टिप्पणी जमानत आवेदन निष्पादन होने तक सीमित है, इस कांड में अन्वेषण, जांच या विचारण के स्तर पर गुण–दोष के आधार पर कोई सुझाव न समझा जाए।

लेखापित एवं शुद्धित

Sd/-

(अमित कुमार दीक्षित)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ़